छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–24 / रेरा / 2019 / 675 रायपुर, दिनांक 05 / 02 / 2019

/ / परिपत्र / /

विषय :– रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक –15 एवं 18 क्रमशः दिनांक 28.07.2018 एवं दिनांक 04.10.2018 के माध्यम से रेरा में रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्टकॉपी प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया था, कि यदि प्रमोटर्स द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक समस्त दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो वे रूपये 5,000 / – मात्र के विलंब शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम की धारा–63 के तहत शास्ति हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

प्राधिकरण द्वारा इस हेतु प्रमोटर्स को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से समस्त दस्तावेजों की साफ्टकॉपी प्राधिकरण के वेबपोर्टल https://rere.cgtsate.gov.in/ पर दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। यद्यपि उक्त निर्देश जारी होने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक लंबित दस्तावेज अपलोड करने हेतु कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा, तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके पूर्व भुगतान किए जा चुके विलंब शुल्क वापसी योग्य नहीं होंगे।

यदि प्रमोटर्स द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक समस्त दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो वे पूर्वानुसार रूपये 5,000 / – मात्र के विलंब शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम की धारा–63 के तहत शास्ति हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

05/02/19
(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

G:\RAVI RERA\LETTER.DOC 77